न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2022 / 06

1. हिमांशु बागडा पुत्र श्री लीलाधर आयु 20 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सुनिता शर्मा पुत्री श्री लीलाधर पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा आयु 40 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी नगरियावाला एन.आर.आई. कॉलोनी के सामने, जगतपुरा जयपुर।
3. अनिता शर्मा पुत्री श्री लीलाधर पत्नि श्री लोकेश शर्मा आयु 37 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम अभयपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सुप्रिया शर्मा पुत्री श्री लीलाधर पत्नि श्री सुनील शर्मा आयु 30 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी दौलतपुरा बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. प्रियंका पुत्री श्री लीलाधर पत्नि श्री पीयूष शर्मा आयु 27 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी प्लाट नम्बर ई–51 राम नगर विस्तार सोडाला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र कालूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मैसर्स बालाजी कृपा बिल्डवैल प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 149 सन्नी मार्ट, न्यू आतिश मार्केट, मानसरोवर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी।
3. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर, तहसील [illegible] जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

सहायक [illegible]
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय   दिनांकः 30.11.2022

वादीगण ने एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी कब्जे काश्त की संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 1000 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1171 रकबा 11 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 964 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5000 है0 वाके ग्रांम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 संयुक्त अविभाजित है तथा उसी हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा आपस मे मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर रखी है, जिससे वादीगण के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरित आदि करने तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 25.5.2021 को प्रतिवादीगण अपने साथ ... व्यक्तियो को लेकर उक्त भूमि पर आये तथा उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरित करने एवं मौके पर आवासीय कॉलोनी बसाने की बातचीत करने लगे तो वादी संख्या 1 ने उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु उन्हे मना किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी संख्या 1 से कहा कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है तथा वादी संख्या 1 को धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति संस्था इत्यादि को विक्रय हस्तान्तरित कर उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी बसाकर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करके रहेगे जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त अविभाजित कोपार्सनरी भूमि है तथा वादीगण का उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जन्म से ही हक व अधिकार है। इस पर वादीगण ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 2.7.2021 को प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से वादीगण की बिना अनुमति व बिना सहमति के भूमि खसरा नम्बर 964, 965 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अंकित करवा दिया, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त इन्द्राज वादीगण के हक व अधिकारो के प्रति प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है तथा जिनका कानून में कोई महत्व नहीं है एवं उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण के हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। वादीगण शान्तिप्रिय एवं न्याय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रशासनिक अधिकारी है, जिनका मुकाबला वादीगण बिना मान्य न्यायालय की सहायता करने में असमर्थ है, जिससे वादीगण के पास मान्य न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, जिससे वादीगण उक्त भूमि में अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार दुरूस्ती करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे वादीगण के हिस्से की उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि पर से वादीगण को बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्व नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन व दुरूस्ती आदि नहीं करे ।

उक्त वाद में वादीगण ने यह अनुतोष चाहा कि वादीगण का वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री किया जाकर वादीगण को वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि में उक्त मद में वर्णित हिस्से अनुसार प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे, इस हेतू

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 4 को तहरीर जारी फरमायी जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित वादीगण के हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि पर से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन व दुरूस्ती आदि नहीं करे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय वादीगण के हक में उचित समझे पारित फरमावे जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 09.05.2022 को वकालत-नामा पेश किया, लेकिन कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 14.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 2 की तामील भी दिनांक 26.10.2021 को हो गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 25.05.2 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तनकीयात आयम नहीं की गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू. 1 स्वयं वादी संख्या 1 हेमेन्द्र पी.डब्लू.2 गुमान मल व पी.डब्लू.3 मदन लाल शर्मा का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2033 से 2036, प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2037 से 2040, प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा नम्बर 964, 965 प्रस्तुत किये तथा प्रदर्श–5 राजीनामा प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र, शपथ पत्र व दस्तावेजात में वर्णित अभिवचनो व साक्ष्य को दोहराते हुये कथन किया कि वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है, जिस पर वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के निरन्तर उपयोग उपभोग कर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन प्रतिवादीगण ने आपस में नाजायज सांठगांठ व मिलीभगत कर वादीगण के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरित करने तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है, वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू. 1 स्वयं वादी संख्या 1 हिमांशु, पी.डब्लू.2 गुमान मल व पी.डब्लू.3 मदन लाल शर्मा का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2033 से 2036, प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2037 से 2040, प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा नम्बर 964, 965 प्रस्तुत किये तथा प्रदर्श–5 राजीनामा प्रदर्शित करवाया है, जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई जवाब दावा एवं कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, वादीगण ने दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित किया है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है तथा राजीनामा प्रदर्श–5 में अन्य भूमि खसरा नम्बर 792 व 793 के संबंध में अनुपम सोमानी से राजीनामा हो गया है तथा उक्त राजीनामा वादीगण की पैतृक सम्पत्ति व वादीगण का हक व हिस्सा होने के आधार पर किया गया है एवं उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का निरन्तर चला आ रहा है तथा मान्य न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिससे वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती की जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गयी। वादीगण ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:

1. डब्लू.एल.सी. 2019 (1) एस.सी. –पेज 357,
2. डब्लू.एल.सी. 2019 (2) राज0 पेज 551,
3. आर.आर.टी. 2020 (2) एस.सी. पेज 998
4. आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 656,
5. सी.डी.आर. 2012 (4) राज0 पेज 2235,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

6. आर.आर.डी. 1986 पेज 676,

7. आर.आर.डी. 2005 पेज 349,

8. आर.आर.डी. 1998 पेज 478,

9. आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 157,

10. डी.एन.जे. 2000–01 (Suppl.) राज0 पेज 245

वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि उक्त भूमि वादीगण की पैतृक है तथा वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार है तथा वादीगण को न्यायालय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा न्यायालय को इस संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उक्त वाद को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 की प्रस्तुत की है जिसमें साबिक खसरा नंबर 1000, 1167, 1171 के कृषक कॉलम में पेश सजरा अनुसार वादीगण के दादा कालू पुत्र गोविन्दा का नाम व प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 के काश्तकार कॉलम में लीलाधर पुत्र कालूराम जाति बागडा ब्राह्मण अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजीयात है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नं. 100, 1167, 1171 के हाल खसरा नंबर 792, 793, 964, 965 बनाये गये हैं। प्रदर्श–5 से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 792, 793 का वादीगण द्वारा विड्रा किया जा चुका है। प्रदर्श–4 से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 है। तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 स्वयं हिमांशु, पी.डब्लू. 2 गुमानमल व पी.डब्लू. 3 मदन लाल शर्मा की साक्ष्य पेश की है। वैसे भी प्रतिवादी द्वारा वादीगण द्वारा प्रसतुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किये है ना ही साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है, जिससे वादीगण उक्त भूमि के संबंध में अपने हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 964 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.3600 है0 कुल

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

किता 2 कुल रकबा 0.5000 है0 वाके ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार इन्द्राज करने तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

मिसलवली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

हिमांशु बागडा **बनाम** लीलाधर वगै.

मुकदमा नम्बर – दावा/65/2021

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ......✓...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 964 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5000 है0 वाके ग्रांम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार इन्द्राज करने तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......✓...... मुबलिग ......✓...... बाबत् ......✓...... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......✓...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......✓...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.11.2022 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner